Bal Raj Tuli, न्यायमूर्ति. के समक्ष**,**

सिविल मिसेलेनियस

बाल राज तुली से पहले, जे. एम./एस. जगदीश प्रसाद बाबू राम, ई. टी. सी.-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य ईटीसी-उत्तरदाता।

सिविल रिट नं. 1970 का 164।

20 अप्रैल, 1970।

भारत का संविधान (1950)-अनुच्छेद 19 और 226-सरकार केवल देश में उद्योगों के उपयोग के लिए कच्चे माल का आयात करती है-औद्योगिक विनिर्माण चिंताएं-क्या कच्चे माल के न्यायसंगत वितरण का दावा करने का अधिकार है-ऐसा अधिकार-क्या एक रिट याचिका के माध्यम से लागू किया जा सकता है-योग्य विनिर्माण इकाइयों की पात्रता का निर्धारण-क्या एक अर्ध-न्यायिक कार्य-उद्योग निदेशक-क्या आयातित कच्चे माल के वितरण के लिए एक योजना तैयार की जाए।

माना गया कि जब सरकार देश के उद्योगों में उपयोग के लिए कच्चे माल के आयात की एकमात्र जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, तो उस कच्चे माल को उचित और न्यायसंगत आधार पर विनिर्माण संस्थाओं के बीच वितरित करना उसका कर्तव्य बन जाता है और विनिर्माण इकाइयों को उसमें अपने हिस्से का दावा करने का अधिकार मिलता है। यदि उन्हें उनके उचित हिस्से से वंचित किया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के तहत उनके मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, जिसके बारे में वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से शिकायत करने के हकदार हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि आयातित कच्चे माल के कोटे के लिए प्रत्येक पात्र विनिर्माण इकाई की पात्रता का निर्धारण और निर्धारण करने में उद्योग निदेशक का कार्य एक अर्ध-न्यायिक कार्य है क्योंकि पक्षों के संबंधित दावों का निर्धारण कोटा के वितरण की योजना के आधार पर एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा किया जाना है। एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण को निष्पक्ष और न्यायसंगत आधार पर कार्य करना चाहिए और प्रभावित व्यक्तियों की सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और निर्णय के कारण बताते हुए न्यायिक तरीके से मामले का निर्णय लेना चाहिए। यदि इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए, तो विभिन्न दावेदारों के लिए यह समझना आसान होगा कि उनके दावों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्यों अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को उस कोटा की अनुमति दी गई है जिसके वे हकदार हैं। यह उच्च अधिकारियों या न्यायालयों को यह तय करने में भी सक्षम बनाएगा कि क्या वह योजना, जिसके अनुसार नियंत्रित वस्तुओं को पात्र संस्थाओं के बीच वितरित किया जाना है, को समान रूप से और समान दृष्टि से प्रशासित किया गया है। यह उद्योग निदेशक का कर्तव्य है कि वह भारत सरकार या अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितरण की एक योजना तैयार करे, ताकि कच्चे माल का उचित और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 को एक उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें उनसे पानीपत में शॉल/लोधी/चद्दर उद्योग को वर्स्टेड धागे के लिए आयातित कच्ची ऊन के वितरण से संबंधित मामले की फाइलों को प्रेषित करने के लिए कहा जाए, जिसमें 25 जुलाई, 1969 और 16 सितंबर, 1969 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त भी शामिल हैं, जिस पर पूरी वितरण नीति का निपटारा किया गया था, ताकि इस माननीय न्यायालय को 13 अक्टूबर, 1969 और 5 जनवरी, 1970 को किए गए

आवंटन की वैधता और वैधता की जांच करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि याचिकाकर्ताओं को उचित राहत दी जा सके और आगे प्रार्थना की जा सके कि इस रिट याचिका के निपटारे तक, उत्तरदाताओं 1 और 2 को पहले से ही उनके पक्ष में और उत्तरदाताओं के पक्ष में निर्धारित कोटा जारी करने और वितरित करने का आदेश न दिया जाए।

Judgment.

B. R. TULI, J. याचिकाकर्ता पानीपत में स्वदेशी ऊन से शॉल, लोही और चादर बनाने के व्यवसाय में लगी पांच कंपनियां हैं। उत्तरदाता 3 से 16 पानीपत में व्यवसाय करने वाली समान विनिर्माण चिंताएं हैं। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि हरियाणा राज्य द्वारा राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त के माध्यम से अप्रैल से सितंबर, 1968 की अवधि के लिए प्राप्त दो लाख रुपये मूल्य की आयातित कच्ची ऊन का कोटा मनमाने आधार पर 24 विनिर्माताओं के बीच वितरित किया गया है। उत्तरदाता 1 और 2 ने लिखित बयान में इस आरोप का खंडन किया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि वितरण सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों पर विनिर्माण इकाइयों द्वारा स्वदेशी ऊन की खपत के आधार पर किया गया था।

(2) पक्षकारों के इन अभिवचनों और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों से चुने गए निर्विवाद तथ्य यह हैं कि विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया और अन्य ऊन उत्पादक देशों से कच्चे ऊन का आयात केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। कोई भी व्यापारी या निर्माता विदेशों से सीधे ऊन का आयात नहीं कर सकता है। यह आयात अखिल भारतीय आधार पर भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसके बाद कच्चे ऊन का वितरण बॉम्बे में कपड़ा आयुक्त द्वारा किया जाता है जो प्रत्येक राज्य के लिए कोटा का आवंटन करता है, और राज्य के भीतर, विभिन्न विनिर्माण इकाइयों या निजी पक्षों को उद्योग निदेशक द्वारा अनुशंसित उनके संबंधित कोटा दिए जाते हैं। अप्रैल से सितंबर, 1968 की अवधि के लिए, कपड़ा आयुक्त ने हरियाणा राज्य को शॉल आदि में ऊनी उत्पादों के निर्माण में लगी इकाइयों को वितरण के लिए लगभग दो लाख रुपये मूल्य की कच्ची ऊन आवंटित की। जून, 1969 में, उद्योग वितरण निदेशक ने परिणाम के साथ इसका विरोध किया। उस वितरण के बारे में पता चलने पर अन्य निर्माताओं ने इसका विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त वितरण को रद्द कर दिया गया। लगभग 40 विनिर्माण इकाइयाँ हैं जिन्हें कोटा के वितरण में हिस्से के लिए योग्य माना जा सकता है, और 25 जुलाई, 1969 को चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के उद्योग के संयुक्त निदेशक के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सहायक निदेशक (कपड़ा) श्री एन. गोस्वामी, जिला उद्योग अधिकारी, पानीपत, श्री एस. एस. आनंद और 11 निर्माताओं के अलावा संयुक्त निदेशक ने भाग लिया था। उनमें से दो, श्री अमर नाथ और श्री लश्कर मल ने क्रमशः पानीपत ऊनी और घटिया कपड़ा हथकरघा निर्माता संघ, पानीपत और लघु ऊनी कपड़ा इकाइयों के संघ, पानीपत का प्रतिनिधित्व किया। इन संघों को न तो उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत किया गया था और न ही मान्यता दी गई थी। हालाँकि, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे बिना किसी और देरी के उद्योग विभाग द्वारा खुद को पंजीकृत और मान्यता प्राप्त करें। उस बैठक की कार्यवाही से पता चलता है कि यह नोट किया गया था कि पानीपत में खराब धागे से शॉल बनाने का कोई शॉल उद्योग नहीं था और यह महसूस किया गया था कि शॉल उद्योग के लिए आयातित कच्चे ऊन का कोटा नहीं गंवाना चाहिए और इस कोटे को स्वदेशी ऊन से शॉल, लोही और चादर के निर्माताओं के बीच वितरित किया जाना चाहिए। कुछ अस्थायी निर्णय इस आशय के लिए लिए गए थे कि (i) केवल उन इकाइयों/पक्षों पर विचार किया जाए जो मूल रूप से 1968-69 (1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1969) तक विभाग में लघु इकाइयों के रूप में पंजीकृत थे (ii) केवल उन इकाइयों पर ही कोटा के लिए विचार किया जाना चाहिए जो 100 प्रतिशत स्वदेशी ऊन में से लोहे या शॉल या चादर का निर्माण करती हैं, और (iii) 1968-69 की अवधि को पात्रता के लिए इकाइयों के पंजीकरण आदि को तय करने के आधार के रूप में लिया जाना चाहिए। वितरण के आधार के संबंध में कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी। तीन प्रस्ताव रखे गए, अर्थात् (i) कोटा सभी पात्र विनिर्माण इकाइयों के बीच परीक्षण के आधार पर समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, (ii) कोटा वास्तविक उपभोग के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए, और (iii) कोटा क्षमता के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। उसी दिन बाद में, 12 निर्माताओं ने उद्योग निदेशक, हरियाणा को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि ऊपर उल्लिखित दोनों संघों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया था कि कोटा का वितरण और आवंटन जिला उद्योग अधिकारी, पानीपत में पंजीकृत सभी इकाइयों के लिए समान आधार पर किया जाना चाहिए, जो उन वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए थे जिनके लिए कोटा उनकी वास्तविक खपत या क्षमता के बावजूद था। 1 अगस्त, 1969 को जिला उद्योग अधिकारी, पानीपत ने पानीपत ऊनी और घटिया कपड़ा हथकरघा निर्माता संघ, पानीपत के अध्यक्ष श्री अमर नाथ को एक ज्ञापन संबोधित किया, जिसका पाठ इस प्रकार थाः –

" हरियाणा के उद्योग निदेशक ने शॉल, लोदी और चादर उद्योगों के लिए कच्चे ऊन के लिए कोटा के वितरण के संबंध में सिफारिशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी इकाइयों, सदस्यों के संबंध में आवश्यक जानकारी भेजेंः -

(i) केवल वही इकाइयाँ, जो इस विभाग में लघु इकाई के रूप में 1968-69 (1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1969) तक लोही, शॉल और चादर के लिए पंजीकृत हैं, कोटा के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इस प्रकार उनसे अनुरोध है कि वे अपना पंजीकरण संख्या और तिथि प्रस्तुत करें।

(ii) कोटा के आवंटन के लिए केवल उन पक्षों पर विचार किया जाएगा, जो 100 प्रतिशत स्वदेशी ऊन में से शॉल, लोही और चादर के निर्माण में लगे हुए हैं। इसलिए उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष 1966-67-68-69 के लिए पिछले तीन वर्षों (वर्षवार) के लिए शॉल, लोही और चादर उद्योगों के निर्माण के लिए कच्चे ऊन की अपनी खपत प्रस्तुत करें। उत्पाद शुल्क बिलों द्वारा विधिवत समर्थित। उपरोक्त जानकारी सकारात्मक रूप से 4 अगस्त, 1969 तक इस कार्यालय तक पहुंचनी चाहिए, अन्यथा किसी भी वास्तविक पक्ष को कोटा का आवंटन न करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।"

(3) यह कहा गया है कि विभिन्न विनिर्माण इकाइयों ने आवश्यक जानकारी प्रदान की, लेकिन 16 सितंबर, 1969 को निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक होने तक आगे कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ था। उस बैठक में लिए गए निर्णयों को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। हालांकि, 13 अक्टूबर, 1969 को आयातित कच्ची ऊन की कीमत रु। 24 निर्माताओं में से 1,84,000 थे, जिनकी एक सूची भारतीय राज्य व्यापार निगम को जिला उद्योग अधिकारी, पानीपत को एक प्रति के साथ भेजी गई थी, जिसमें पार्टियों द्वारा कच्चे माल के उपयोग पर कड़ी नजर रखने का अनुरोध किया गया था। सभी याचिकाकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया गया और उन्होंने विभिन्न अभ्यावेदन दिए। एक अन्य निर्माता, मेसर्स स्वतंत्र भारत ऊनी मिल्स, पानीपत (प्रतिवादी 16) जिसे आयातित कच्चे ऊन के कोटा में किसी भी हिस्से के आवंटन में भी नजरअंदाज कर दिया गया था, ने इस न्यायालय (C.W.) में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। 3191 का 1969) जो दिसंबर, 1969 में भर्ती किया गया था। इसके बाद 5 जनवरी, 1970 को निम्नलिखित रूप में और आवंटन किए गए: -

बीएस. (1) मेसर्स गिरनार वूलन मिल्स। पानीपत, (याचिकाकर्ता नं. 4).. 300

(2) एम/एस। गार्गी उद्योग, पानीपत... 95®

(3) मेसर्स। समारत वूलन मिल्स, पानीपत (याचिकाकर्ता नं. 5)• 500

(4) एम/एस। स्वतंत्र भारत ऊनी मिल्स, पानीपत (प्रतिवादी नं. 16)... 14,050

(5) एम/एस। सुरिंद्र हथकरघा उद्योग, पानीपत... 200

कुल... 16,000

लिखित बयान में कहा गया है कि ये आवंटन उसी आधार पर किए गए थे जो पहले 13 अक्टूबर को किए गए थे। 1969, क्योंकि इन निर्माताओं के मामले तब विचाराधीन थे।

(4) उपर्युक्त विस्तार में उद्धृत दिनांक 1 अगस्त, 1969 के पत्र से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उद्योग निदेशक द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि कच्चे ऊन का कोटा उन विनिर्माण इकाइयों के बीच वितरित किया जाए जो 1968-69 तक उद्योग विभाग में लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत थीं, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी ऊन की खपत के आधार पर, जिसके लिए विनिर्माण इकाइयों से जानकारी मांगी गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि लगभग आधे आबंटियों ने खुद को लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत नहीं कराया था और इसलिए वे कोटा के आवंटन के लिए पात्र नहीं थे। इस तथ्य से यह दावा किया गया है कि उद्योग निदेशक द्वारा आवंटन का कार्य पक्षपातपूर्ण है। वापसी में, यह समझाया गया है कि अधिकतम इकाइयों को लाभान्वित करने के लिए लघु उद्योग के रूप में पंजीकरण की शर्त को माफ कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी विवादित किया गया है कि कोटा का वितरण आबंटियों द्वारा वास्तविक खपत के आधार पर किया गया था। याचिका और प्रतिकृति में उत्तरदाता 1 और 2 के दावे को पलटने के लिए उदाहरण दिए गए हैं कि वितरण उपभोग के आधार पर किया गया था।

(5) इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए पहला बिंदु यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं और अन्य निर्माताओं को कच्चे ऊन के वितरण में न्यायसंगत हिस्से का दावा करने का अधिकार है जिसे रिट याचिका के माध्यम से लागू किया जा सकता है। मेरी राय में, जब सरकार देश के उद्योगों में उपयोग के लिए कच्चे माल के आयात की एकमात्र जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, तो यह उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह उस कच्चे माल को उचित और न्यायसंगत आधार पर विनिर्माण संस्थाओं के बीच वितरित करे और विनिर्माण इकाइयों को उसमें अपने हिस्से का दावा करने का अधिकार प्राप्त हो। यदि उन्हें उनके उचित हिस्से से वंचित किया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (एल) (जी) के तहत उनके मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, जिसके बारे में वे शिकायत करने के हकदार हैं। ए. के. क्राईपाक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1) में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्यों की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना लाभदायक होगा –

"एक प्रशासनिक शक्ति और एक अर्ध-न्यायिक शक्ति के बीच विभाजन रेखा काफी कम है और धीरे-धीरे समाप्त की जा रही है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति है या एक अर्ध-न्यायिक शक्ति है, किसी को प्रदत्त शक्ति की प्रकृति, उस व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसे यह प्रदान की गई है, उस शक्ति को प्रदान करने वाले कानून की रूपरेखा, उस शक्ति के प्रयोग से होने वाले परिणाम और उस शक्ति के प्रयोग की उम्मीद करने के तरीके को देखना होगा। हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में यह अपरिहार्य है कि हमारे संविधान के तहत राज्य का अंग कानून के शासन द्वारा विनियमित और नियंत्रित हो। हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में यह अपरिहार्य है कि प्रशासनिक निकायों का अधिकार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। कानून के शासन की अवधारणा अपनी वैधता खो देगी यदि राज्य के साधनों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करने का कर्तव्य नहीं सौंपा जाता है। सार में न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता के अलावा और कुछ नहीं है, न कि मनमाने ढंग से या मनमौजी रूप से। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में जिन प्रक्रियाओं को अंतर्निहित माना जाता है, वे केवल वे हैं जो एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित नहीं करती हैं। हाल के वर्षों में अर्ध-न्यायिक शक्ति की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। जिसे कुछ साल पहले एक प्रशासनिक शक्ति माना जाता था, अब उसे अर्ध-न्यायिक शक्ति माना जा रहा है। प्रशासनिक निकायों की शक्ति में वृद्धि के साथ उनकी शक्ति के न्यायसंगत प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना आवश्यक हो गया है। उस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए और यह देखने के लिए कि यह एक नई निरंकुशता न बन जाए, अदालतें धीरे-धीरे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को विकसित कर रही हैं। इस तरह के मामलों में सार्वजनिक भलाई पूर्वजों के कठोर पालन से आगे नहीं

बढ़ती है। नई समस्याओं के लिए नए समाधान की आवश्यकता होती है। अर्ध-न्यायिक शक्ति की सीमाएँ तय करना न तो संभव है और न ही वांछनीय।"

(6) उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, आयातित कच्चे ऊन के निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए, सरकार को एक योजना तैयार करनी चाहिए ताकि उस वितरण में हिस्सेदारी के हकदार निर्माताओं को कोटा के अपने हिस्से के लिए आवेदन करने से पहले उन शर्तों के बारे में पता चल सके जिन्हें उन्हें पूरा करना होगा। इस तथ्य के बावजूद कि "वर्तमान मामले में उद्योग निदेशालय के अधिकारियों द्वारा व्यापार के विचारों का पता लगाया गया था, आयातित कच्चे ऊन के वितरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी। कच्चे ऊन के वितरण के लिए जो भी मानदंड तय किए गए थे, वे पहले ही विनिर्माण इकाइयों के लघु उद्योग के रूप में पंजीकरण की शर्त को माफ कर दिए गए थे। वितरण का आधार संबंधित विनिर्माण इकाइयों की वास्तविक खपत बताया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि उस खपत की सीमा का निर्धारण कैसे किया गया था, अर्थात क्या केवल एक वर्ष की खपत को ध्यान में रखा गया था या एक वर्ष से अधिक की और क्या सभी विनिर्माण इकाइयों को आवश्यक जानकारी देने के लिए बुलाया गया था। कुछ विनिर्माण इकाइयों को वितरण से क्यों बाहर रखा गया और क्या उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करने या खुद को पंजीकृत करने के लिए उचित अवसर दिया गया या क्या सभी अपंजीकृत इकाइयों पर भी विचार किया गया, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। यह न्यायोचित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक पात्र विनिर्माण इकाई की पात्रता का निर्धारण और निर्धारण करने में उद्योग निदेशक का कार्य एक अर्ध-न्यायिक कार्य है क्योंकि पक्षों के संबंधित दावों को कोटा के वितरण की योजना के आधार पर एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाना है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण की घोषणाओं से अब तक यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण को निष्पक्ष और न्यायसंगत आधार पर कार्य करना चाहिए और प्रभावित व्यक्तियों की सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और निर्णय के लिए कारण देते हुए न्यायिक तरीके से मामले का निर्णय लेना चाहिए। यदि इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए, तो विभिन्न दावेदारों के लिए यह समझना आसान होगा कि उनके दावों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्यों अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को उस कोटा की अनुमति दी गई है जिसके वे हकदार हैं। यह उच्च अधिकारियों या न्यायालयों को यह तय करने में भी सक्षम बनाएगा कि क्या वह योजना, जिसके अनुसार नियंत्रित वस्तुओं को पात्र संस्थाओं के बीच वितरित किया जाना है, को समान रूप से और समान दृष्टि से प्रशासित किया गया है। व्यापार की राय का आकलन करने के बाद, यह उद्योग निदेशक का कर्तव्य था कि वह भारत सरकार या अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितरण की योजना तैयार करे। याचिकाकर्ताओं ने उद्योग निदेशक, पंजाब द्वारा मेसर्स भारत वूलेन मिल्स, G.T. को जारी पत्र की एक प्रति दाखिल की है। रोड, छेहरटा, 6 फरवरी, 1961 को, "राज्य में लघु इकाइयों का पंजीकरण" विषय से संबंधित। इस पत्र से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में यह निर्णय लिया था कि लौह, इस्पात, अलौह धातुओं, आयातित कच्चे माल और कलपुर्जों का उपयोग करने वाली सभी लघु इकाइयों को 31 मार्च, 1961 से पहले राज्य उद्योग निदेशालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए। निर्धारित आवेदन पत्र, प्रपत्र जिला उद्योग अधिकारी से उपलब्ध थे और भारत सरकार ने इसके लिए एक विज्ञापन भी जारी किया था। "द ट्रिब्यून" 26 जनवरी, 1961, पृष्ठ 12 पर पत्र को तुरंत पंजीकृत करने की सलाह दी गई थी, ऐसा न करने पर विभाग कच्चे माल की खरीद के माध्यम से सहायता पर विचार नहीं कर पाएग। भविष्य में। उद्योग हरियाणा के उप निदेशक श्री एन. गोस्वामी ने 11 मार्च, 1970 को एक हलफनामा दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को फिर से प्रकाशित किया गया और इस मुद्दे के साथ 20 फरवरी, 1969 को कपड़ा आयुक्त, भारत सरकार, बॉम्बे द्वारा जारी किया गया। उद्योग के संयुक्त निदेशक, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ को "खराब धागे या शॉल उद्योग के लिए कोटा के आवंटन" के विषय पर। यह पत्र इस प्रकार है: –

" उपरोक्त के संदर्भ में, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अप्रैल-सितंबर, 1968 की अवधि के लिए आपके राज्य को दो लाख रुपये मूल्य की कच्ची ऊन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप इसे केवल ऐसे हथकरघा बुनकरों को वितरित करें जो हथकरघा पर शॉल के कपड़े के निर्माण में लगे हुए हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कच्चे माल या धागे की बिक्री न हो। धागे को किसी भी अधिकृत खराब स्पिनर से कताई की आवश्यकता होगी। मैं इसके साथ ऐसी अधिकृत सबसे खराब कताई इकाइयों की एक सूची संलग्न कर रहा हूं। अब आप भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं, जिसे आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।"

इस पत्र से यह स्पष्ट है कि यह इरादा नहीं था कि केवल उन इकाइयों को, जो लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत थीं, आयातित कच्चे ऊन के हिस्से की अनुमति दी जानी चाहिए। यह कोटा शॉल उद्योग में लगे हथकरघा बुनकरों के बीच वितरित किया जाना था। इसलिए लघु उद्योग के रूप में पंजीकरण के संबंध में शर्त को माफ करने के लिए उद्योग निदेशक के लिए यह खुला था, लेकिन फिर योजना को इस आधार पर तैयार किया जाना चाहिए था कि शॉल उद्योग में हथकरघा बुनकरों के विवरण का जवाब देने वाला प्रत्येक निर्माता आयातित कच्चे ऊन के वितरण का लाभ उठा सके। उद्योग निदेशक द्वारा 13 अक्टूबर, 1969 और 5 जनवरी, 1970 को किया गया वितरण, इसलिए, उद्योग निदेशक द्वारा बनाई गई किसी भी योजना के अनुसार नहीं था और इसे मनमाना कहा जा सकता है। तथापि, इस मामले की परिस्थितियों के आलोक में, मैं उत्तरदाता 1 और 2 को जारी किए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उस वितरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। निर्देश हैं कि भविष्य में हरियाणा राज्य को आवंटित आयातित कच्चे ऊन के कोटे का वितरण उद्योग निदेशक द्वारा तैयार की जाने वाली वितरण योजना के अनुसरण में पात्र निर्माताओं के बीच किया जाएगा और वितरण की प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक सूचना या व्यक्तिगत नोटिस द्वारा प्रचारित किया जाएगा। योग्य निर्माताओं को तैयार की गई योजना के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। उनके शेयरों में आने वाले कोटा के लिए उनकी पात्रता उन्हें सुनने के बाद निर्धारित की जाएगी और यदि कोई विवाद है,

निर्णय के कारणों को भी दर्ज किया जाएगा। भविष्य में वितरण करते समय 13 अक्तूबर, 1969 और 5 जनवरी, 1970 को 29 विनिर्माताओं को किए गए आबंटन को ध्यान में रखा जाएगा और आवश्यक समायोजन किए जाएंगे, ताकि जिन विनिर्माताओं को छूट दी गई है या उनकी पात्रता से कम कोटा आवंटित किया गया है, उन्हें भविष्य के वितरण में उन विनिर्माताओं की कीमत पर मुआवजा दिया जाएगा, जिन्हें पहले ही उनकी पात्रता से अधिक कोटा आवंटित किया जा चुका है। प्रभावी रूप से, वितरण की योजना, जब तैयार की जाती है, तो यह माना जाएगा कि यह 13 अक्टूबर, 1969 से पहले लागू हो गई थी और कच्चे ऊन के सभी वितरण उस योजना के तहत किए गए थे और तदनुसार समायोजन किए गए थे। बहस के दौरान, मैंने यह सुझाव पक्षों के वकील को दिया और वे आम तौर पर इससे सहमत हुए।

(7) परिणाम यह है कि 13 अक्टूबर, 1969 और 5 जनवरी, 1970 को विभिन्न निर्माताओं को किए गए आयातित कच्चे ऊन के आवंटन में हस्तक्षेप नहीं किया गया है और उत्तरदाता 1 और 2 को हरियाणा राज्य को आवंटित कच्चे ऊन के कोटे का भविष्य में कोई भी वितरण करने से पहले उपरोक्त निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार रिट याचिका का निपटान लागत के रूप में बिना किसी आदेश के किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रेवाडी (**हरियाणा)**